गर्भ निरोधक टीका

जोखिम में जान

विनीता बाल, लक्ष्मी मूर्ति व वाणी सुब्रमण्यन

स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ते निजीकरण और निजी प्रैक्टिस करने वालों का सरकारी परिवार कल्याण कार्यक्रमों में दखल के परिप्रेक्ष्य में गर्भनिरोधक टीके के कार्यक्रम में प्रवेश की सम्भावना अत्यंत चिन्ताजनक विषय है.......

आज से पंद्रह बरस पहले, जब आंध्रप्रदेश के पातनचेरू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिवार कल्याण शिविर में महिलाएं गर्भनिरोधक इंजेक्शन लगवाने गईं तो उन्हें नहीं मालूम था कि वे इतिहास रचने जा रही हैं। जानकार सहमति की बेहद ज़रूरत, दवा की हानिप्रद प्रकृति और लम्बे समय तक काम करने वाले इस हॉर्मोनल गर्भनिरोधक की हमारे बीमार स्वास्थ्य तंत्र में अनुपयुक्तता जैसे मुद्दों को लेकर स्त्री शक्ति संघटना, सहेली, चिंगारी नामक समूहों और कई अन्य लोगों ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उनकी मुख्य मांग थी गर्भनिरोधक टीके नोर्थिस्टेरॉन एनैनथेट (नेट एन) के चौथे चरण के चिकित्सीय परीक्षण पर रोक लगाना।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिया फैसला 'नेट एन प्रकरण' के नाम से जाना जाता है। नुकसानदेह गर्भनिरोधकों के खिलाफ महिला आंदोलन के अभियान के लिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है। फैसले में अदालत ने स्वीकार किया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों में नेट एन के बड़े पैमाने पर उपयोग की सलाह नहीं दी जा सकती है; इसका स्पष्ट आशय यह है कि नेट एन के उपयोग के जोखिम तथा इस्तेमाल करने के दौरान उपयोगकर्ताओं की मॉनीटरिंग और अनुवर्तन (टीका लगाए जाने के बाद जानकारी प्राप्त करने के लिए लगातार सम्पर्क करने) की ज़रूरत से इंकार नहीं किया जा रहा है।

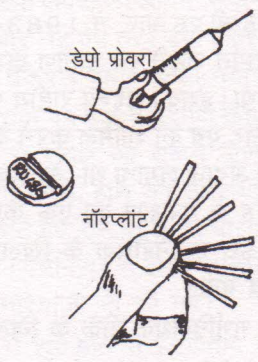

भारत सरकार के शपथ पत्र में कहा गया है कि 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नए गर्भनिरोधक टीके नेट एन को उन्हीं जगहों पर उपयोग के लिए प्रस्तावित कर रहा है जहां इसके अनुवर्तन करने व सलाह-मशविरा मुहैया कराने की पर्याप्त व्यवस्था है।'

नेट एन प्रकरण 1986 में केंद्र सरकार के खिलाफ सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर.), आंध्रप्रदेश एवं भारत के दवा नियंत्रक के नाम से दायर किया गया था। इसमें निम्न मुद्दों को उठाया गया था -

***नेट एन के लघु व दीर्घावधि दुष्परिणामः** मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस-पिट्यूटरी (पीयूष) अक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की वजह से शारीरिक तंत्र में गड़बड़ियां हो जाती हैं, मासिक स्राव में अनियमितता आदि लघु अवधि के दुष्परिणाम हैं। दीर्घावधि जोखिमों में कैंसर की सम्भावना, गर्भस्थ शिशु पर बुरा प्रभाव तथा पुनः मातृत्व पाने की अनिश्चितता शामिल है।

* नेट एन प्रकरण में चिकित्सीय नैतिकी का पालन नहीं किया गया, जैसे जिन महिलाओं को नेट एन के परीक्षण में शामिल किया गया था उन्हें इस दवाई के दुष्परिणाम की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। न ही उन्हें बताया गया था कि उन पर एक अप्रमाणित दवा का प्रयोग किया जा रहा है।

* लम्बे समय तक काम करने वाले हॉर्मोनल गर्भनिरोधक को लगाने सम्बंधी अपर्याप्त सुविधाएं। स्वास्थ्य सेवा तंत्र